गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 20 वीं बैठक में डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा की अपील पर सुनवाई की Adjourned (स्थगित) बैठक को पुनः आयोजित की गयी बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक : 30.04.2022
समय : अपराह्न 02:00 बजे
स्थान : अतिथि गृह, एन0आई0ई0 (राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान), नई दिल्ली
विषय : अपील की सुनवाई

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. श्री प्रेम भारद्वाज, अध्यक्ष
2. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3. श्री नरिन्दर सिंह कटारिया, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
4. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
5. प्रो0 रेणु शुक्ला, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
6. प्रो0 नवनीत, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7. प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 मनुदेव बन्धु, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
9. डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्या
10. प्रो0 विनोद कुमार सिंह, वित्ताधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य
11. डॉ0 सुनील कुमार, कुलसचिव / संयोजक

ईश वन्दना के साथ प्रबन्ध मण्डल की बैठक आरम्भ होने पर सर्वप्रथम श्री विनय आर्य ने बैठक की अध्यक्षता हेतु माननीय श्री प्रेम भारद्वाज का नाम प्रस्तावित किया गया। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त प्रस्ताव का स्वागत किया गया तथा बैठक की अध्यक्षता मान्य श्री प्रेम भारद्वाज द्वारा आरम्भ की गयी।

श्री विनय आर्य ने सदन को अवगत कराया कि MoA 2012 के अनुसार बैठक में कोरम के अनुसार आवश्यक सदस्य उपस्थित नही है। अतः अन्य सदस्यों डॉ0 नैपाल सिंह तोमर एवं डॉ0 मनुदेव बन्धु को ऑनलाईन के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। उक्त दोनों सदस्यों को ऑनलाईन के माध्यक से बैठक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 09.04.2022 की Adjourned (स्थगित) बैठक पुनः आरम्भ हुई। दिनांक 09.04.2022 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 08 में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल के वाद संख्या (S/B) No.119 of 2022 के दिनांक 14.03.2022 के अपील को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आलोक में प्रस्तुत अपील को पूर्ण तथ्यों के साथ रखे जाने पर उनकी अपील पर समविश्वविद्यालय के पक्षकार द्वारा समविश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु एक सप्ताह का समय मांगा गया था। बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया। समविश्वविद्यालय के पक्षकार द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त प्रतिउत्तर को सदन में रखा गया, जिसकी प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी।

श्री नरिन्दर सिंह कटारिया के द्वारा उक्त प्रतिउत्तर के सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय के पक्ष प्रस्तुतकर्त्ता को पूर्ण तथ्यों सहित विवरण सदन में रखे जाने हेतु कहा गया।

समविश्वविद्यालय के पक्षप्रस्तोता के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर के प्रत्येक बिन्दु का विस्तृत रुप से विवरण सदन में रखा गया तथा सदन के सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया गया। पक्षप्रस्तोता द्वारा प्रतिउत्तर के प्रत्येक बिन्दु के विस्तृत विवरण सदन में रखे जाने के उपरान्त मान्य अध्यक्ष द्वारा डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को इस सम्बन्ध में अपने मत रखे जाने हेतु कहा गया। दोनों पक्षों के मतव्यों को सुनने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा की अपील पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रत्येक सदस्य को अपना-अपना मत सदन में रखे जाने हेतु कहा गया। जिसका विवरण एवं सदन के निर्णय को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा।

डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा के दिनांक 04.01.2022 की अपील की सुनवाई व समविश्वविद्यालय के प्रस्तोता अधिकारी द्वारा इनकी अपील पर दिये गये प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की वर्तमान बैठक में पूर्ण रुप से विचार-विमर्श किया गया। सदन में विचारोपरान्त डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा के दिनांक 04.01.2022 की अपील को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया तथा समविश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को दिनांक 20.12.2021 से समविश्वविद्यालय की सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्त **(Pre Mature Retirement)** किये जाने को मान्य किया गया।

उपर्युक्त के आलोक में प्रबन्ध मण्डल द्वारा डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा की अपील के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि इन्हें शीघ्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।

शांति पाठ के उपरान्त उक्त बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव